राजस्थान सरकार
निदेशालय,समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ गाँधी नगर, जयपुर

12/1/2021

क्रमांकः एफ.26(4)(333) A.SSC/IEC/ICDS/2013/ 5898 जयपुर, दिनांक 12.1.2021

कार्यालय आदेश

आशा सहयोगिनी मानदेयकर्मियों की जन्म तिथि राजपोषण सॉफटवेयर में गलत अंकित होने से उसमें संशोधन कार्यवाही के लिए जारी परिपत्र कमांक प.25(50) आईसीडीएस/कम्यूटर/राजपोषण /2015/72287 दिनांक 05.05.17 के कम में मानदेयकर्मियो की 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप मानदेय सेवा से पृथक हो चुके है/जो आगे सेवानिवृत होगें। ऐसे मानदेयकर्मियों के प्रकरणों में सही जन्मतिथि अंकन किये जाने के प्रस्ताव उपलब्ध दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति के साथ आवेदन के प्रस्तुत करने पर निम्नानुसार जन्मतिथि में संशोधन किया जावेगाः–

अ. जहां आशा सहयोगिनी की राजपोषण पर दर्ज जन्मतिथि में विसंगति है वहां

1. नियुक्ति पत्र/कार्यादेश में अंकित जन्म दिनांक के आधार पर
2. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका/प्रमाण–पत्र में दर्ज जन्म दिनांक के आधार पर,

संशोधन के अधिकार **सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी** स्तर पर होगें। वे संशोधन आदेश की प्रति मानदेयकर्मी के स्वहस्ताक्षरित अभिलेख प्रति के साथ इसे उप निदेशक व निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित करेंगें। राजपोषण पर सुविधा विकसित होने पर यह Doucment वहां अपलोड भी होगा।

ब. अन्य दस्तावेजो साक्ष्य प्रस्तुत करने जैसेः–

1. निजी विद्यालय की पूर्वोक्तानुसार अधिप्रमाणित प्रति में जन्मतिथि
2. जीवन बीमा निगम में सामूहिक बीमा एवं बचत योजना पॉलिसी में जन्मतिथि,

के आधार पर परिवर्तन हेतु निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं को उपनिदेशक की अभिशंषा से प्रस्ताव निदेशालय प्रेषित किये जाएंगें।

स. यदि मानदेय कर्मी को राजपोषण पर अंकित गलत जन्म तिथि के आधार पर सेवानिवृति आदेश जारी कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में सेवानिवृति आदेश जारी होने के 2 माह की अवधि में उक्त किन्हीं दस्तावेज जिनमें जन्म तिथि स्पष्ट रूप से अंकित हो प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में रिक्त पद को तब तक नहीं भरा जावें जब तक प्रकरण के सम्बन्ध में निर्णय/निस्तारण नहीं हो जाता है।

द. राजपोषण पर अंकित गलत जन्म दिनांक के कारण मानदेय कर्मी के सेवानिवृत आदेश जारी किये जाने पर मानदेय कर्मी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उसकी जन्मतिथि संशोधन संबंधित आदेश जारी किये जाने के बीच के अन्तराल का मानदेय देय नहीं है।

य. यदि मानदेयकर्मी की जन्मतिथि उसके सेवा रेकार्ड के दस्तावेजो (नियुक्ति पत्र/संलग्न जन्मतिथि दस्तावेज/जन्मतिथि दस्तावेजो के अभाव में बीमा व बचत योजना की पॉलिसी में अंकित जन्म दिनांक के आधार पर मानदेयकर्मी की आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो व राजपोषण पर गलत जन्म दिनांक के आधार पर उसे सेवानिवृत नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में बाल विकास परियोजना अधिकारी तत्काल जन्मतिथि दस्तावेजो के आधार पर मानदेयकर्मी के मानदेय सेवा से पृथक किये जाने सम्बन्धि आदेश जारी करे, उसकी तामील/सूचना मानदेयकर्मी को दी जावें तथा राजपोषण से मानदेयकर्मी की जन्म दिनांक संशोधित करने/नाम हटाने के लिये उप निदेशक (एसीपी) निदेशालय को पूर्ण दस्तावेज भेजे जावें।

(डॉ.प्रतिभा सिंह)
निदेशक
समेकित बाल विकास, सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

Scanned with CamScanner

C:\Users\dell\Dropbox\IEC 2020-21\IEC Lett_20-21.docx

5899-6337
5899-6337

क्रमांकः एफ.26(4)(333) A.SSC/IEC/ICDS/2013/ जयपुर, दिनांक 12/1/2021

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग; राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग सचिवालय जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर।
5. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजस्थान।
6. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
7. उप निदेशक (एसीपी) निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. आशा समन्वयक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर
9. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति
10. समस्त शाखा प्रभारी अधिकारी, मुख्यालय
11. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं।
12. रक्षित पत्रावली।

12/1/21

(रंजिता गौतम)
अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाए
राजस्थान, जयपुर

Scanned with CamScanner